सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2023

चार पहिया वाहनों का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जनता से धोखाधडी करने वाले 02 जालसाज गिरफ्तार, 03 अदद चार पहिया वाहन व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में जालसाज अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चार पहिया वाहनों का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जनता से धोखाधड़ी करने के 02 जालसाज अभियुक्तों–01.अवनीश प्रताप सिंह, 02. नेकराम यादव उर्फ लेखपाल यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद चार पहिया वाहन, 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने प्रार्थीगण ओमप्रकाश तिवारी, जय प्रकाश मिश्रा, राजेश कुमार दुबे से श्रीराम फाइनेंस कम्पनी व महाकाल कम्पनी का रिकवरी एजेण्ट बताकर किरायानामा एग्रीमेंट के तहत 03 अदद चार पहिया वाहन ली थी। जब प्रार्थीगणों द्वारा उक्त अभियुक्तगणों से किराया मांगा गया तो उन्होने प्रार्थीगणों को फर्जी बेचनामा दिखाकर गाली–गुप्ता देते हुए भगा दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगणों द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें विवेचना के दौरान आज दिनांक 28.08.2023 को उक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हमलोग भोले भाले लोगों से धोखाधड़ी कर उनकी गाड़ी को किराये पर ज्यादा पैसों का लालच देकर एग्रीमेंट कर उनकी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी बताकर मोटी रकम लेकर फर्जी बेचनामा बनाकर दूसरे लोगो को बेच देते थे तथा गाड़ी का कागजात बाद में देने की बात करते थे तथा फिर अपना नम्बर चेंज कर देते थे यह कार्य हमलोग द्वारा कभी लखनऊ तो कभी बहराइच में रहकर किया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. अवनीश प्रताप सिंह पुत्र घनश्याम सिंह नि0 मोहम्मदपुर गढवार थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. नेकराम यादव उर्फ लेखपाल यादव पुत्र त्रिवेणी नि0 रेवढा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0– 265/23, धारा 406,504,506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–281/23, धारा 406,504,506,120बी,419,420,467,468,471 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 03 अदद चार पहिया वाहन।
02. 03 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्र0नि0 इटियाथोक संतोष कुमार सरोज मय टीम।
02. प्रभारी स्वाट संतोष कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2023

गौवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.08.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान दुर्जनपुर घाट से मुखबिर खास की सूचना पर गौवध निवारण अधि0 के वांछित अभियुक्त रत्नेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 13.06.2023 थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 27 राशि गोवंशों से लदे एक ट्रक को बरामद कर 03 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें उक्त अभियुक्त वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रत्नेश कुमार यादव पुत्र वेद प्रकाश यादव नि0 भदरबारा अघनपुरवा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–216/23, धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 कुबेर तिवारी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2023

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चोरो/वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों के दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी करने के आरोपी अभियुक्त सुनील कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी संदीप कुमार तिवारी पुत्र महेन्द्र कुमार तिवारी नि0 ग्राम बसालतपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा की टेंट की दुकान में चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनील कुमार मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा नि0 ग्राम बसालतपुर थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–492/23, धारा 380,411 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 04 अदद हाइड्रोजन लाइट।
02. 01 अदद ट्रैक्टर की पटिया।
03. जनरेटर का हेड व हैण्डिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 प्रशान्त शुक्ला मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2023

एटीएम मशीन मे लोगों को धोखा देकर पैसा निकालने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ए0टी0एम0 फ्रॉड करने वाले गिरोह के सदस्यों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों/प्रभारी स्वाट/सर्विलांस/साइबरसेल को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा एटीएम मशीन मे लोगों को धोखा देकर पैसा निकालने वाले गिरोह के 02 सदस्य–01. अर्जुन कोरी, 02. अंकुर त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ए0टी0एम0 फ्रॉड के 5000 रूपये बरामद किया गया। आज दिनांक 28.08.2023 को वादी जनार्दन प्रताप सिंह पुत्र श्री रामधन सिंह ग्राम व पो0 रामपुर टेंगरहा थाना तरबगंज जिला गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दो व्यक्तियों द्वारा बेइमानी व कपट पूर्वक धोखाधड़ी करके ए.टी.एम. मशीन मे जहां से पैसा निकलता है टेम्परिंग करके ग्राहकों के पैसों जो ए.टी.एम मशीन मे फंस जाता है उसको निकाल लेते है तथा कल दिनांक 27.8.2023 को कटरा बाजार स्थित ए.टी.एम. मशीन मे उक्त घटना कारित किए उसी दिन में करीब 3 बजे थाना तरबगंज स्थित बेलसर बाजार मे स्थित ए.टी.एम. के अन्दर दो व्यक्ति घुसकर धोखाधड़ी व कपट पूर्वक जिस मकान के अन्दर ए.टी.एम. लगा था घुसकर ए.टी.एम. मशीन से जहां से पैसा निकलता है ए.टी.एम. मशीन मे लगे शटर को तोड़कर टेम्परिंग कर पांच सौ रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये चुरा लिये थे। ए.टी.एम. पर लगे सी.सी.टी.वी. मे देखकर उक्त दोनो चोरों के बारे मे जानकारी की गयी तो उक्त घटना सी.सी.टी.वी. के फुटेज देखने से अर्जुन कोरी पुत्र रामपाल चिकनी अगमपुर एवं अंकुर त्रिपाठी पुत्र उदय प्रकाश त्रिपाठी निवासी बेलवा थाना हरैया जनपद बलरामपुर द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। आज दिनांक 28.08.2023 को दुर्जनपुर बाजार मे एटीएम से टेम्परिंग करते समय उक्त अभियुक्तगणों–गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना तरबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अर्जुन कोरी पुत्र रामपाल चिकनी अगमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. अंकुर त्रिपाठी पुत्र उदय प्रकाश त्रिपाठी निवासी बेलवा थाना हरैया जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–384/23, धारा 419,420,454,380,411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.08.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

07 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना को0नगर पुलिस ने 03, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 व थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जशोदा देवी पत्नी राघवराम नि0 खम्हरिया हरिवंश थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–469/23, 02. मोना पत्नी नगीना नि0 ग्राम खम्हरिया हरिवंश थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–470/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।